

संक्षिप्त नीति

जिला मिनरल (खनिज) फाउंडेशन

उर्वर भूमि और इसके गरीब लोगों के लिए अनुबंध को दोबारा लिखने का एक अवसर

क) पृष्ठभूमि

खनन मंत्रालय ने 2011 के अपने 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क' रिपोर्ट में स्वीकार किया कि हाल के दशकों में खनन की गतिविधियों से थोड़ा सा ही स्थानीय लाभ पहुँचा है।' यह कहना उचित नहीं है कि खनन गतिविधियों से स्थानीय लाभ नहीं हुआ है परन्तु दुर्भाग्यवश, देश की खनिज संपदा से सबसे समृद्ध राज्यों और जनपदों में सबसे गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं। यह कुछ बड़े खनन वाले राज्यों के गरीबी के आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है।

- वर्ष 2011-2012 के लिए योजना आयोग द्वारा किए गये आकलन के अनुसार, तीनों शीर्ष खनन करने वाले राज्यों—छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में गरीबी की रेखा के नीचे जनसंख्या का अनुपात लगभग 40 प्रतिशत का रहा है जो 21.9 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से बहुत ऊँचा है।
- योजना आयोग ने छत्तीसगढ़ के 15 जनपदों को पिछड़े के रूप में चिन्हित किया है जबकि झारखंड और ओडिशा के लिए यह क्रमशः 19 और 27 प्रतिशत है।
- देश में जनजातीय जनसंख्या के लिए स्थिति काफी भयावह है; विशेषतः ग्रामीण खनन वाले जनपदों में। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के 2014 के अनुमान के अनुसार जनजातीय जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण अनुपात; विशेषकर खनन राज्यों के ग्रामीण इलाकों में, गरीबी रेखा के नीचे रहता है। ओडिशा में ग्रामीण जनजातीय जनसंख्या के 75 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 50 प्रतिशत से अधिक है।

ख) समुदायों के साथ लाभ को बाँटना

वर्षों के विचार-विमर्श के पश्चात्, खनन क्षेत्रों में गरीबों के साथ खनन के लाभों को बाँटने की आवश्यकता को पहचाना गया है। खान और खनिज विकास व नियमन (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने खनन क्षेत्रों में समुदायों के साथ खनिज संपदा को बाँटने की व्यवस्था की है। अधिनियम (धारा 9बी) के अन्तर्गत, अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डी.एम.एफ) स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है। जैसा कि उल्लेखित है कि डी.एम.एफ. एक न्यास (ट्रस्ट) है जो 'लोगों के हित और लाभ के लिए और खनन सम्बन्धित प्रक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए काम करने हेतु एक अलाभकारी संस्था के रूप में कार्य करेगा।

इस अधिनियम में एक निश्चित राशि को पट्टाधारकों द्वारा वार्षिक रूप से मुख्य खनिज उत्खनन के बदले में डी.एम.एफ. को अदा करना आवश्यक है।

- खनन पट्टा या अपेक्षित लाइसेंस के साथ खनन पट्टा धारकों को (जिन्हें अधिनियम के आरंभ होने पर या बाद में प्रदान किया गया) एक राशि डी.एम.एफ. को चुकाना आवश्यक है जो खनन किये जाने वाले खनिज की रॉयल्टी के एक तिहाई से अधिक न हो।
- पहले से कार्यरत खनन पट्टा धारकों को डी.एम.एफ. को वह राशि अदा करना आवश्यक है जो रॉयल्टी से अधिक न हो।

अदा किये जाने वाले रॉयल्टी का प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। उक्त अधिनियम आगे उल्लेख करता है कि डी.एम.एफ. के उद्देश्य और क्रियान्वन को संवैधानिक व्यवस्थाओं द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए क्योंकि यह जनजातीय क्षेत्रों को शासित करने के लिए अधिनियम के 5वें और 6ठी सूची में दर्ज है। इसे 'पंचायत (अनुसूचित



सेन्टर फॉर साइंस एन्ड एनवायर्नमेंट

41, तुगलकाबाद इन्स्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110 062, इंडिया फोन: +91-11-40616000 फैक्स: +91-11-29955879
ई-मेल: srestha@cseindia.org वेबसाइट: www.cseindia.org

क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम' (पी.ई.एस.ए.) और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों को मायन्ता) अधिनियम, 2006—संक्षेप में वन अधिकार अधिनियम (एफ.आर.ए.) के व्यवस्थाओं द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

ग) जिला खनिज फाउंडेशन : उर्वर भूमि और इसके गरीब लोगों के बीच अनुबंध को फिर से लिखने का एक अवसर

डी.एम.एफ. की व्यवस्थाएँ खनन से प्रभावित समुदायों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने का एक अवसर है। हमारे अनुमान प्रदर्शित करते हैं कि महत्वपूर्ण संसाधन ही डी.एम.एफ. के खाते में जा सकते हैं। (संभावित अनुमान हो सकते हैं क्योंकि अधिकतर राज्य सोचते हैं कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स द्वारा निर्धारित खनिज उत्पादन का भाव एवं बिक्री मूल्य को कम आँका गया है।) उदाहरणस्वरूप :

- प्रमुख खनन वाले राज्यों जैसे ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में केवल लौह-अयस्क के खनन से ही डी.एम.एफ. को क्रमशः रु. 800 करोड़, रु. 105 करोड़ और रु. 440 करोड़ का मिल सकते हैं। गोवा और कर्नाटक में लौह-अयस्क के खनन से ही मिलने वाली राशि रु. 350 करोड़ रु. 180 करोड़ तक हो सकती है।^१
- प्रमुख लौह-अयस्क खनन वाले जनपदों में, जैसे कि क्यौंझर, सुंदरगढ़, सिंहभूमि (बंगाल), दंतेवाड़ा और बेल्लारी में डी.एम.एफ. को मिलने वाली राशि क्रमशः रु. 600 करोड़, रु. 185 करोड़, रु. 105 करोड़, रु. 350 करोड़ और रु. 170 करोड़ हो सकती है।^२
- प्रमुख कोयला खनन राज्यों के लिए केवल कोयले से ही डी.एम.एफ. का हिस्सा झारखंड के लिए रु. 820 करोड़, छत्तीसगढ़ के लिए रु. 420 करोड़, मध्य प्रदेश के लिए रु. 440 करोड़ और आंध्र प्रदेश के लिए रु. 430 करोड़ हो सकता है। दूसरे राज्यों में भी कोयला खनन में हिस्सा महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए यह महाराष्ट्र के लिए रु. 290 करोड़, ओडिशा के लिए रु. 220 करोड़ और मेघालय एवं उत्तर प्रदेश दोनों के लिए लगभग रु. 170 करोड़ तक हो सकती है।

इसके बावजूद, आर्थिक लाभ समुदायों तक पहुँच सकता है यदि डी.एम.एफ. को मार्गदर्शन करने वाले नियमों को ठीक तरह से विकसित किया जाए और उचित योजना, निरीक्षण और ज़िम्मेदारी के साथ इनको लागू किया जाए।

इसमें राज्यों की एक मुख्य भूमिका है। अधिनियम का (धारा 15) डी.एम.एफ. के गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु नियम बनाने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार देता है। इसके साथ ही राज्यों को लघु खनिजों के स्वामियों को डी.एम.एफ. को भुगतान किये जाने वाली राशि में छूट प्रदान करने के लिए नियम बनाना होगा।

घ) डी.एम.एफ. की संरचना : लोक-केन्द्रित, प्रभावशाली और उत्तरदायी

डी.एम.एफ. को प्रभावशाली बनाने के लिए, राज्यों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए:

- (i) लाभार्थियों को पहचानने हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश बनायें
- (ii) विशेष रूप से उल्लेख करें कि राशि को कैसे और कहाँ पर खर्च किया जाना चाहिए
- (iii) स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि कोष का प्रबंधन किसे करना चाहिए
- (iv) डी.एम.एफ. की प्रभावशालिता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करें

(i) लाभार्थियों को पहचानने हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश बनायें

डी.एम.एफ. को खनन से सम्बन्धित प्रक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों की सेवा करना आवश्यक है। फिर भी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों को पहचानना एक मुख्य चुनौती है। यह प्रकरण एफ.आर.ए. 2006 के व्यवस्थाओं के अन्तर्गत हुए समझौते से सम्बन्धित रहा है। ऐसे विवादों से बचने के लिए, डी.एम.एफ. के नियम प्रभावित क्षेत्रों और लाभार्थियों के लिए खुले और पारदर्शी होने चाहिए।

प्रभावित क्षेत्रों और लाभार्थियों को पहचानने के लिए निम्नलिखित व्यापक ढाँचे का प्रयोग किया जा सकता है :

क) प्रभावित क्षेत्र

प्रभावित क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

खनिज लवणों से समृद्ध जनपदों में रहने वाले अति दरिद्र लोगों के विरोधाभासी स्थिति को डी.एम.एफ. द्वारा सम्बोधित किया जाना चाहिए

खनन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों और लोगों को पहचानने के लिए एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रणाली स्थापित किया जाना चाहिए

प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र

प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र वे हैं जहाँ पर खनन एवं खनन से सम्बन्धित गतिविधियाँ, जैसे कि— किसी को उपकृत करना और अवशिष्ट का निपटारा करना (अवांछित ढेर, अवशिष्ट से भरा तालाब आदि) वास्तव में हो रही है।

- ग्राम और ग्राम पंचायत जिसमें खनन और प्रत्यक्ष खनन सम्बन्धित गतिविधियाँ हो रही हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र माना जाना चाहिए।
- वे ग्राम जहाँ पर परियोजना के विस्थापित परिवारों को दोबारा बसाया गया है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र माना जाना चाहिए।
- वे ग्राम जो अपनी आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए परियोजना क्षेत्रों पर पूरी तरह से निर्भर हैं और उस क्षेत्र को भोग करने का एवं पारम्परिक अधिकार (पशु चराने, लघु वन उत्पाद का संग्रह आदि) रखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र माना जाना चाहिए।

अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र

अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र वे हैं जहाँ पर समुदाय खनन सम्बन्धित गतिविधियों के परिणामस्वरूप नकारात्मक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय घटनाक्रमों का सामना करते हैं। खनन क्रिया का मुख्य नकारात्मक प्रभाव जल एवं वायु की गुणवत्ता में गिरावट, खनिजों के परिवहन के कारण भीड़भाड़ और प्रदूषण, आदि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना बहुत कठिन है। फिर भी, अनुभव दिखाते हैं कि खनन क्रिया का महत्वपूर्ण प्रभाव ब्लॉक स्तर से आगे नहीं बढ़ता। इसलिए क्रियान्वन की सरलता, ब्लॉक/ब्लॉकों, (प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर) के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र माना जा सकता है।

ख) प्रभावित व्यक्ति/लाभार्थी

केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों को पहचाना जाना चाहिए। खनन क्रिया से प्रभावित व्यक्तियों में उन लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनके पास खनन किये जाने वाले भूमि पर कानूनी और व्यवसायिक अधिकार प्राप्त हैं और उन लोगों को भी जिनके पास उपकृत करने का एवं पारम्परिक अधिकार है। निम्नलिखित को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए :

- वे प्रभावित परिवार जिनको भूमि अधिग्रहण में उचित क्षतिपूर्ति का अधिकार, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम, 2013 की धारा 3 (सी) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
- वे विस्थापित परिवार जिनको भूमि अधिग्रहण में उचित क्षतिपूर्ति का अधिकार, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 3 (के) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
- अन्य जिन्हें ग्राम सभा द्वारा ठीक प्रकार से चिन्हित किया गया है।

ग) प्रभावित व्यक्तियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ग्राम सभा द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को चिन्हित किया जाना है

खनन से प्रभावित लोगों को चिन्हित करने के लिए एक पारदर्शी और उत्तरदायी पद्धति को स्थापित किया जाना आवश्यक है। अधिनियम 2015 में यह उल्लेख है कि डी.एम.एफ. का उद्देश्य और काम करने का तरीका संवैधानिक व्यवस्थाओं द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए क्योंकि यह 5वें और 6ठे अधिसूचना, पी.ई.एस.ए., 1996 की व्यवस्थाओं और इसके साथ ही साथ एफ.आर.ए., 2006 से भी सम्बद्ध है। ऐसी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत, लाभार्थियों को ग्राम सभाओं द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें अधिनियम के द्वारा ऐसा करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है।

- पी.ई.एस.ए. (धारा 4सी) की व्यवस्थाओं के अनुसार, 'गरीबी उन्मूलन' और दूसरे कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यक्तियों को



सेन्टर फॉर साइंस एन्ड एनवायर्नमेन्ट

41, तुगलकाबाद इन्स्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110 062, इंडिया फोन: +91-11-40616000 फैक्स: +91-11-29955879

ई-मेल: srestha@cseindia.org वेबसाइट: www.cseindia.org

लाभार्थियों के रूप में चुनने या पहचानने में ग्राम सभाओं की भूमिका और उत्तरदायित्व है। चूंकि डी.एम.एफ. को एक संस्था के रूप में स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य खनन क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने का है, अतः 'पेसा' लाभार्थियों को चिन्हित करने में प्रयोग करना चाहिए।

- इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया अनुसूचित जनजाति और दूसरे पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियमावली 2012 (वन अधिकार संशोधन नियमावली, 2012) के नियम 4 की व्यवस्थाओं पर आधारित हो सकता है।
 - ग्राम सभा को सम्भावित लाभार्थियों की एक सूची तैयार करनी चाहिए और उनके ऐसे विस्तृत वर्णन की एक पंजिका बनाये रखनी चाहिए।
 - सम्भावित लाभार्थियों का सत्यापन करके, ग्राम सभा एक प्रस्ताव पास करेगा और डी.एम.एफ. के संचालन परिषद को उसे प्रेषित करेगा। ग्राम सभा के बैठक के कोरम में सदस्य; जहाँ पर एक प्रस्ताव पास होगा, ऐसी ग्राम सभा के सभी सदस्यों के आधे से कम नहीं होगा और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दूसरे पिछड़े वर्गों और महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों को सम्मिलित करना होगा। उपस्थित सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।
 - लाभार्थियों को चिन्हित करने से सम्बन्धित किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए ग्राम सभा के कोरम में दावेदारों या उनके प्रतिनिधियों की कम से कम 50 प्रतिशत की उपस्थिति की आवश्यकता होगी। प्रस्ताव एक साधारण बहुमत द्वारा पारित होगा।
- डी.एम.एफ. को ग्राम सभा के साथ महत्वपूर्ण लाभार्थियों को चिन्हित करने से सम्बन्धित आवश्यकताओं को जानने के लिए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जिससे ग्राम सभा द्वारा पूरा किया जाना है। एक मार्गदर्शिका को ऐसे उद्देश्य के लिए विकसित और समयबद्ध तरीके से प्रेषित किया जा सकता है।
- बहुत पुरानी खानों के लिए, जहाँ पर लाभार्थियों को चिन्हित करना निवासित लोगों के स्थानांतरण और बाहरी लोगों के आगमन के कारण कठिन है, लक्षित खर्च के लिए एक 'ग्राम कोष' को स्थापित करना चाहिए।
- बहुत पुरानी खानों के लिए, जिसमें विस्थापित लोगों का एक अलग गाँव में पुनर्वास कराया गया है, पुनर्वासित ग्राम के लिए एक ग्राम स्तर के कोष का निर्माण विस्थापित लोगों के उत्तराधिकारी को कुछ लाभ प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए।

(ii) स्पष्ट करें कि राशि को कैसे और कहाँ पर खर्च किया जाना चाहिए

डी.एम.एफ. राशि सख्ती से खनन क्रिया द्वारा प्रभावित लोगों और क्षेत्रों और उनकी सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए है।

क. कहाँ पर राशि को खर्च किया जाना चाहिए ?

- सम्पूर्ण कोष; जिसे डी.एम.एफ. एक वर्ष में प्राप्त करेगा, के 20 प्रतिशत से अधिक की राशि भविष्य में प्रयोग के लिए जमा कराई जानी चाहिए (जब खनन प्रक्रिया बंद हो जाती है) और आकस्मिक परिस्थितियों के लिए भी, जैसे कि प्राकृतिक विपदा।
- सम्पूर्ण कोष जिसे डी.एम.एफ. एक वर्ष में प्राप्त करेगा, उसके 80 प्रतिशत से कम राशि एक वर्ष में खर्च कर लेनी चाहिए।
- पूरी राशि जिसे डी.एम.एफ. को एक वर्ष में खर्च करना है :
 - 65 प्रतिशत से अधिक राशि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों पर खर्च की जानी चाहिए।
 - 50 प्रतिशत से अधिक राशि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों के लिए प्रयोग में लानी चाहिए।
 - 20 प्रतिशत से कम राशि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों पर खर्च की जानी चाहिए।
 - 10 प्रतिशत से कम राशि, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर जनपद के विकास के लिए खर्च की जानी चाहिए।

पी.ई.एस.ए., 1996 और एफ. आर.ए., 2006 के अनुसार, ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों को चिन्हित किया जाना आवश्यक है।

सम्पूर्ण डी.एम.एफ. राशि का 80 प्रतिशत से कम एक वर्ष में प्रयुक्त किया जाना चाहिए, बाकी बची राशि भविष्य के प्रयोग के लिए सुरक्षित रखी जानी चाहिए।

- 5 प्रतिशत से कम राशि डी.एम.एफ. के प्रशासनिक खर्चों के लिए उपयोग की जानी चाहिए।

ख. किस पर राशि खर्च की जानी चाहिए ?

लाभ को बाँटना

- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित प्रत्येक परिवार को समान आर्थिक लाभ दिया जाना चाहिए, जिसे मासिक या वार्षिक रूप से चुकाया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवार में विधवा, इकलौती माँएं और बिना किसी पारिवारिक सहायता के बुजुर्ग व्यक्ति शामिल होंगे। एक बैंक खाता परिवार के महिला प्रमुख के नाम से खोला जाना चाहिए।
- आर्थिक लाभ की राशि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में डी.एम.एफ. के प्रशासनिक परिषद द्वारा तय किया जाना चाहिए। फिर भी, ऐसे आर्थिक लाभ की राशि उस राशि से कम नहीं होगी जिसे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के व्यवस्थाओं के अन्तर्गत एक परिवार को प्रदान किया जाता है।
- वास्तव में, न्यूनतम वेतन उपलब्ध कराने की आवश्यकता का उल्लेख खनिज अनुदान नियमावली, 1960 (नियम 27 पी एवं क्यू) के अन्तर्गत किया गया है। इसमें उल्लेख है कि ऐसा आर्थिक लाभ जनजातियों और व्यक्तियों को प्रदान किया जाना चाहिए जो खनन क्रिया के फलस्वरूप विस्थापित हो गये हैं, यदि उन्हें खनन पट्टा धारकों द्वारा नौकरी पर रखा गया है।

जीविकोपार्जन के लिए सुरक्षा प्रदान करना

- यह महत्वपूर्ण है कि डी.एम.एफ. की राशि का एक अंश प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों के जीविका को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाए। इसलिए दूसरी प्राथमिकता शिक्षा छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण, छोटे व्यवसाय को स्थापित करने हेतु कर्ज, इत्यादि को दिया जाना चाहिए। प्राथमिकता महिलाओं के व्यवसायों को दी जानी चाहिए। डी.एम.एफ. राशि को एक पूरक सहायता राशि (कोष में वृद्धि करना जिसे जनपद/ब्लॉक/ग्राम सामान्य रूप से प्राप्त करेगा) के रूप में स्थानीय बुनियादी ढाँचा, विद्यालय, पानी की आपूर्ति, साफ-सफाई और सीवरेज, विद्युत, सड़कें इत्यादि के विकास के लिए प्रयोग किया जा सकता है। विकास के ऐसे उद्देश्यों के लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे डी.एम.एफ. राशि को दूसरे सम्बन्धित विभागों में स्थानांतरित किया जा सके। फिर भी, डी.एम.एफ. को अपने अंशदान के सत्यापन एवं लेखापरीक्षण के लिए एक पद्धति अपनानी चाहिए।
- डी.एम.एफ. राशि का एक अंश को, जिसे प्रशासनिक खर्च के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रभावित समुदायों के डी.एम.एफ. को संचालन करने के सामर्थ्य में वृद्धि करने के लिए, वित्तीय प्रशिक्षण, आदि के उपयोग में लाना चाहिए।

भविष्य के लिए निवेश करना

- राशि के एक भाग को भविष्य के लिए निवेश करना चाहिए। खनन प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद सामान्य रूप से खनन क्षेत्र को 'भूतहा कस्बों' के नाम से जाना जाता है, इस परिस्थिति से बचने के लिए इस राशि को क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

डी.एम.एफ. निधि जिसे समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन के लिए उपयोग किया जाना होता है, किसी भी परिस्थिति में इसके प्रशासनिक खर्च की आवश्यकताओं के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि कोष का प्रबंधन कैसे करना चाहिए

डी.एम.एफ. को अपने कामकाज के प्रबंधन में डी.एम.एफ. के सदस्यों और संचालन परिषद दोनों के साथ एक पेशेवर संगठन की तरह कार्य करना चाहिए।



सेन्टर फॉर साइंस एन्ड एनवायर्नमेंट

41, तुगलकाबाद इन्सटिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110 062, इंडिया फोन: +91-11-40616000 फैक्स: +91-11-29955879

ई-मेल: srestha@cseindia.org वेबसाइट: www.cseindia.org

क. डी.एम.एफ. के सदस्य

सदस्य जिन्हें इसमें शामिल होना है:

- ग्राम सभा द्वारा नामांकित प्रत्येक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गाँव से दो सदस्य (एक पुरुष एवं एक महिला)
- खनन कम्पनियों का 10 प्रतिशत (परन्तु 3 सदस्यों से कम नहीं), जो डी.एम.एफ. को अंशदान कर रहे हैं और जिन्हें जिला खनन संघ (डिस्ट्रिक्ट माइनिंग एसोसिएशन) द्वारा नामांकित किया जाएगा
- सम्बन्धित राज्य सरकार के विभागों के जिला कार्यालयों के प्रमुख

ख. परिषद का संचालन करना

- डी.एम.एफ. के संचालन परिषद में सम्मिलित होंगे :
 - जिला मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष (चेयरपर्सन) के रूप में
 - डी.एम.एफ. सदस्यों द्वारा नामित, खनन से प्रभावित क्षेत्रों से समुदाय के पाँच प्रतिनिधि
 - राज्य सरकार द्वारा नामित दो राज्य सरकार के प्रतिनिधि
 - डी.एम.एफ. को अंशदान करने वाले खनन कम्पनियों से एक प्रतिनिधि, जिसे जिला खनन संघ द्वारा नामित किया गया हो
 - जिला खनन अधिकारी
 - सचिव (सेक्रेटरी), जो डी.एम.एफ. का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) होगा और जिन्हें संचालन परिषद (गवर्निंग काउन्सिल) द्वारा नियुक्त किया जाएगा
- प्रशासनिक संघ की सदस्यता अधिकतम तीन वर्षों के लिए होगी। एक बार चुनने के बाद सदस्यों को 10 वर्षों के अन्तराल के बाद ही दोबारा चुना जा सकेगा। यह व्यवस्था सरकारी प्रतिनिधियों के लिए लागू नहीं होती।

ग. भूमिका और उत्तरदायित्व

डी.एम.एफ. सदस्यों का उत्तरदायित्व

- वार्षिक बही पर अपना मत डालना और वार्षिक योजना को पारित करना
- संचालन परिषद के लिए समुदाय के प्रतिनिधियों को नामित करने का अधिकार
- सामान्य वोट द्वारा संचालन परिषद के सभी सदस्यों (अध्यक्ष को छोड़कर) को हटाने का अधिकार
- सी.ई.ओ. सहित नियुक्त व्यक्तियों के वेतन पर निर्णय लेना
- डी.एम.एफ. के संचालन के लिए अधिकारियों और लेखापरीक्षकों के नियुक्तियों को समर्थन प्रदान करना

डी.एम.एफ. के संचालन परिषद के उत्तरदायित्व

- वार्षिक योजना को विकसित करना
- खनन से सम्बन्धित प्रक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों या परिवारों को आर्थिक लाभ वितरण करना
- ऐसी दूसरी गतिविधियों का दायित्व लेना जो कि फाउंडेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में निहित है; जिसमें खनन से सम्बन्धित प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के लिए ऐसी स्थानीय बुनियादी ढाँचा का निर्माण, प्रबन्धन और रखरखाव आदि सम्मिलित है।
- डी.एम.एफ. को चलाने के लिए अधिकारियों और लेखापरीक्षकों को नियुक्त करना, जबकि ऐसी नियुक्तियों के लिए डी.एम.एफ. के सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी।
- वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) का आयोजन
- ए.जी.एम. द्वारा समर्थन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा के रिपोर्ट को प्रस्तुत करना।

(iv) डी.एम.एफ. की प्रभावशालिता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करें

डी.एम.एफ. को एक पारदर्शी और जिम्मेदार संस्था के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। इसे सरकारी और निजी लेखापरीक्षकों के लिए खुला रखना चाहिए। डी.एम.एफ. की पारदर्शिता और जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को

डी.एम.एफ. एक लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाली लोक-केंद्रित संस्था होनी चाहिए

डी.एम.एफ. में उत्तम वित्तीय पद्धतियों को संस्थागत किया जाना चाहिए

पूरा किया जाना आवश्यक है:

- डी.एम.एफ. को निम्नलिखित विवरणों को एक पंजिका (रजिस्टर) में दर्ज करना चाहिए:
 - जिले में पट्टा धारकों और उनके द्वारा डी.एम.एफ. को किए गए वार्षिक भुगतान की सूची
 - प्रभावित व्यक्तियों को मिलने वाले लाभों का भुगतान।
 - डी.एम.एफ. के वार्षिक लेखा-परीक्षणों का हिसाब
- डी.एम.एफ. को उचित एकाउन्ट्स (खातों) एवं दूसरे सम्बन्धित अभिलेखों को बनाये रखना चाहिए और लाभ तथा हानि के लेखा-जोखा सहित एकाउन्ट्स का एक वार्षिक विवरण तैयार करना चाहिए और डी.एम.एफ. के पास उपलब्ध कोष से सम्बन्धित बैलेंस शीट को भी इस तरीके से तैयार करना चाहिए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा भारत के कॉम्पट्रोलर एन्ड ऑडिटर जनरल (सी.ए.जी.) के साथ परामर्श करके निर्धारित किया गया हो।
- डी.एम.एफ. के एकाउन्ट्स को बीच-बीच में इस तरह से ऑडिट करना चाहिए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सी.ए.जी. के साथ परामर्श करके निर्धारित किया गया हो।
- डी.एम.एफ. का लेखा-जोखा ऑडिट रिपोर्ट के साथ डी.एम.एफ. द्वारा राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार इस ऑडिट रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद शीघ्रातिशीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदन में प्रस्तुत करेगी और जिस राज्य में सदन है, वहाँ इसे एक सदन में ही रखा जायेगा।
- डी.एम.एफ. प्रत्येक वर्ष के अन्त में अपनी उन गतिविधियों पर भी; जिसका उसने उत्तरदायित्व लिया है, एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और उसे राज्य सरकार के साथ साझा करना चाहिए।
- एकाउन्ट्स, कोष का भुगतान और उसका उपयोग, ऑडिट रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट सहित सभी सूचनायें जिसका सम्बन्ध डी.एम.एफ. से है, नागरिक अधिकार क्षेत्र में इसकी पहुँच होनी चाहिए।
- यदि डी.एम.एफ. कोष का कोई सदस्य संस्था की कोई राशि या अन्य सम्पत्ति चोरी करता है, हड़पता है या गबन करता है जिससे कि डी.एम.एफ. कोष की राशि में हानि उजागर हो जाती है तो उस पर उसी तरह की कानूनी कार्यवाही करने की बाध्यता हो जाएगी और यदि उसका दोष सिद्ध हो जाता है तो वह उसी तरह के दंड का अधिकारी हो जाएगा जैसा कि किसी साधारण (नागरिक) व्यक्ति को उसी तरह के दोष सिद्ध होने पर दंड दिया जाता है, ऐसे अपराध के लिए किसी सदस्य को अपेक्षित दंड में कोई छूट नहीं मिलेगी।

संदर्भ:

- 1 खान मंत्रालय, 2011, सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट फ्रेमवर्क फॉर इंडियन माइनिंग सेक्टर, http://mines.nic.in/writereaddata/filelinks/2155afeb_FINAL%20REPORT%20SDF%2029Nov11.pdf, 31 मई, 2013 से उपलब्ध है।
- 2 उक्त गणना प्रत्येक राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के मूल्य पर आधारित है जैसा कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स द्वारा वर्ष 2011-13 के लिए प्रकाशित किया गया है (गोवा 2011-12 के लिए) और लौह अयस्क के खनन उद्योग द्वारा चुकाये गये रॉयल्टी को ध्यान में रखते हुए लौह अयस्क के रॉयल्टी का वर्तमान संशोधित दर 15 प्रतिशत है। इस गणना से मान लेना चाहिए कि एक तिहाई रॉयल्टी डी.एम.एफ. के खाते में जाएगा।
- 3 यह गणना वर्ष 2012-13 के लिए प्रत्येक जनपद में लौह अयस्क के उत्पादन के मूल्य को प्रयोग करने पर आधारित है, जैसा कि आई.बी.एम. द्वारा प्रकाशित किया गया है।
- 4 यह गणना वर्ष 2012-13 के लिए प्रत्येक राज्य में लौह अयस्क के उत्पादन के मूल्य को प्रयोग करने पर आधारित है, जैसा कि आई.बी.एम. द्वारा प्रकाशित किया गया है। कोयले के खनन उद्योग द्वारा चुकाये गये रॉयल्टी को ध्यान में रखते हुए कोयले के रॉयल्टी का वर्तमान संशोधित दर 14 प्रतिशत है। इस गणना से मान लेना चाहिए कि एक तिहाई रॉयल्टी डी.एम.एफ. के खाते में जाएगा।



सेन्टर फॉर साइंस एन्ड एनवायर्नमेन्ट

41, तुगलकाबाद इन्सटिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110 062, इंडिया फोन: +91-11-40616000 फैक्स: +91-11-29955879
ई-मेल: srestha@cseindia.org वेबसाइट: www.cseindia.org



सेन्टर फॉर साइंस एन्ड एनवायर्नमेन्ट

41, तुगलकाबाद इन्सटिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110 062, इंडिया

फोन: +91-11-40616000 फैक्स: +91-11-29955879

ई-मेल: cse@cseindia.org वेबसाइट: www.cseindia.org